उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या–2293 / 9–आ–1–ब्लू–प्रिन्ट / 2002 / आ.ब.
लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2002

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन, विकास तथा रख–रखाव के 'ब्लू–प्रिन्ट' तैयार करवाकर उनका कार्यान्वयन, समीक्षा तथा सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था तथा उसकी सहायता के लिए नगर स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या 1662 / 9–आ–1–2000 दिनांक 10.4.2000 के द्वारा मंडल मुख्यालय नगरों के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तथा अन्य नगरों के लिए जिलाधिकारी / विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दोनों में (जो भी वरिष्ठ हो) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी।

उक्त व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निदेश देते हैं कि मंडल मुख्यालय नगरों के लिए नगर स्तरीय समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त तथा अन्य नगरों के लिए जिलाधिकारी / प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (दोनों में जो भी वरिष्ठ हों) समिति के अध्यक्ष होंगे, परन्तु यदि किसी नगर के विकास प्राधिकरण में शासन द्वारा अलग से पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त है तो वही उक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।

अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या 1662 / 9–आ–1–2000 दिनांक 10.4.2000 को तात्कालिक प्रभाव से उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

आज्ञा से

जे0एस0 मिश्र

सचिव।

संख्या :– संख्या–(1) / 9–आ–1–ब्लू–प्रिन्ट / 2002 / आ.ब. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग।
3. सम्बन्धित मंडलायुक्त / अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समिति के समस्त सदस्यगण।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
9. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।